

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

(नर्सिंग प्रशिक्षण शाखा, चतुर्थ तल, हाउसिंग बोर्ड कॉम्पलेक्स, सेक्टर-27)

नया रायपुर छत्तीसगढ़

E-mail Id - spottrainingdhscg@gmail.com

दूरभाष नं 0771-2511305

महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 हेतु विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन राज्य के महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों (कांकेर, रायपुर एवं रायगढ़) में वर्ष 2017-18 का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र केवल महिला उम्मीदवारों से **दिनांक 11.10.2017** तक संलग्न प्रारूप परिशिष्ट "अ" में जिलेवार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध श्रेणीवार एवं जिलेवार सीटों की संख्या परिशिष्ट "ब" के अनुसार है। आवेदन पत्र **रजिस्टर्ड डाक, ए.डी./स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही भेजे जाये** (अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे) तथा **संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., नया रायपुर में आवेदन प्रेषित न करें**। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रवेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-16-1/2001/नौ/55 रायपुर दिनांक 9.9.2011 में प्रावधानित प्रक्रिया एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

नियम व शर्तें

01. महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र की कालावधि 2 वर्ष की होगी।
02. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी होगा।
03. प्रशिक्षण के दौरान शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु 1500/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी।
04. **शैक्षणिक अर्हता** - आवेदक को 10+2 शिक्षा पद्धति में नियमित/ओपन परीक्षा 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
05. **आयु सीमा** -
 - (1) न्यूनतम आयु - ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 31 जुलाई 2017 को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
अधिकतम आयु - ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 31 जुलाई 2017 को 30 वर्ष पूर्ण न कर ली हो।
 - (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 - (3) सेवारत आवेदक के लिए आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट होगी।
06. **आरक्षण** -
 - (1) सेवारत आवेदकों हेतु शासकीय संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 40 प्रतिशत मितानिनों एवं 10 प्रतिशत स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी केवल महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।
07. **चयन प्रक्रिया** -
 - (1) महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश हायर सेकेण्डरी/12वीं कक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत के प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा।
 - (2) सेवारत आवेदकों के लिए अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
 - (3) **जिलेवार चयन** :- सर्वप्रथम जिले के सभी पात्र मूल निवासी अभ्यर्थियों को जिले की निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। तदोपरांत सीटें रिक्त रहने की दशा में जिले के गैर मूल निवासी (छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले के मूल निवासी) अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
 - (4) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इसके उपरांत दावा आपत्ति हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाएगा तथा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाकर अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

- (5) परिशिष्ट (ब) में दर्शित विभिन्न आबंटित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले हेतु आबंटित सीटों के लिए प्रवेश नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार चयन एवं काउन्सिलिंग करेंगे तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य एवं उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देते हुए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. को प्रेषित करेंगे।
- (6) प्रवेश नियम क्र. 3 के सरल क्र. 8 अनुसार प्रशिक्षण के उपरांत शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने हेतु शासन की किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।
- (7) शासकीय सेवाओं को प्रशिक्षण उपरांत नियमानुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा तत्पश्चात् ही उन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी।
- (8) प्रशिक्षण पूर्णतः छात्रावासीय होगा।
- (9) विज्ञापन एवं प्रवेश नियम www.cghealth.nic.in पर भी देखा जा सकता है।


आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.10.2017
प्रावधिक मेरिट सूची का प्रकाशन	13.10.2017
दावे आपत्ति की अंतिम तिथि	23.10.2017
अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	26.10.2017
जिलेवार काउंसिलिंग की तिथि	

क्र.	जिलों के नाम	तिथि
1	सुकमा	30-10-2017
2	जगदलपुर	03-11-2017
3	कोण्डागांव	06-11-2017
4	राजनांदगांव	28-10-2017
5	कवर्धा	30-10-2017
6	धमतरी	28-10-2017
7	गरियाबंद	30-10-2017
8	बलौदाबाजार	03-11-2017

9	महासमुंद	06-11-2017
10	बिलासपुर	28-10-2017
11	मुंगेली	30-10-2017
12	कोरबा	02-11-2017
13	रायगढ़	06-11-2017
14	कोरिया	28-10-2017
15	सुरजपुर	30-10-2017
16	बलरामपुर	03-11-2017
17	जशपुर	06-11-2017

संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग. द्वारा अनुमोदित।




राज्य कार्यक्रम अधिकारी (नर्सिंग प्रशि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट "अ"
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -
छत्तीसगढ़

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट
आकार की
फोटो लगाएं।

01. प्रशिक्षण पद का नाम - महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण (आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर प्रशिक्षण पद का नाम एवं संवर्ग अनिवार्य रूप से लिखा जावे।)
02. आवेदक का नाम :-
03. पिता/पति का नाम :-
04. जन्म तिथि (शब्दों में), :-
- (अंको में) :-
05. जाति वर्ग - सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा/अ.पि.वर्ग :-
06. निवास व जिला (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
07. स्थायी पता :-
08. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (पिन कोड सहित) :-
09. 12वीं/हायर सेकेण्डरी कक्षा में अध्ययन का विवरण :-

क्र.	बोर्ड	विद्यालय का नाम व जिला	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

10 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो स्वयं द्वारा सत्यापित हो -

01. 10 वीं एवं 12वीं की अंकसूची।
02. मूल निवासी प्रमाण पत्र। (जिसमें निवास के जिले का स्पष्ट उल्लेख हो)
03. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र।
04. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक बोर्ड का प्रमाणपत्र अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग या निशक्तता का प्रमाणपत्र आवश्यकतानुसार।
05. सेवारत आवेदको हेतु शासकीय सेवा में होने एवं अवधि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है, यदि विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है तो प्रशिक्षण के दौरान मैं एवं पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जो वह उचित समझे के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता

.....



परिशिष्ट "ब"

शासकीय महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु जिलेवार सीटों का आबंटन सत्र 2017-18

क्र.	शास. प्रशि. केन्द्र का जिला (सीट संख्या)	जिले का नाम	जिलेवार कुल आबंटन	सीट 50%	सामान्य अभ्यर्थी हेतु				सीट 50%	सेवारत अभ्यर्थी हेतु				
					अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.		अना.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	कांकेर (30)	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सुकमा	14	7	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
		दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जगदलपुर	7	4	0	0	4	0	3	0	0	0	3	0
		कोण्डागांव	8	4	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
		नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		राजनांदगाँव *	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	रायपुर (40)	राजनांदगाँव *	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
		कवर्धा	6	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	
		बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		दुर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		बेमेतरा	4	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
		धमतरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		बलौदाबाजार	3	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	
		महासमुन्द	4	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	
		गरियाबन्द	6	3	1	0	2	0	3	1	0	2	0	
		कोरबा	12	6	1	1	4	0	6	1	1	4	0	
		मुंगेली	3	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	
3	रायगढ़ (40)	कोरिया	4	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	
		सूरजपुर	7	4	1	0	3	0	3	1	0	2	0	
		सरगुजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		बलरामपुर	11	6	3	1	2	0	5	3	0	2	0	
		जशपुर	4	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	
		बिलासपुर	5	3	1	0	1	1	2	1	0	1	0	
		जांजगीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		रायगढ़	9	5	2	2	1	0	4	2	1	1	0	
योग			110	59	19	5	32	3	51	16	3	30	2	

नोट :- राजनांदगाँव के (2+1) कुल 03 सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन एवं काउन्सिलिंग राजनांदगाँव के ही मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी द्वारा किया जाकर कॉलम नं.02 में उल्लेखित प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जायेगा।